

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 42/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 2021

सा.का.नि.... (अ), - वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 61 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 62 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "32.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "32.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 70 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर,

		<p>प्रविष्टि "2.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(vi) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "32.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>
2.	<p>11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-</p> <p>(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कच्चा पाम आयल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>

2. यह अधिसूचना 11 सितम्बर, 2021 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/189/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 26 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. 508 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 26 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. 508 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।